ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न०-01, सैक्टर-के०पी०-04, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।
website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा आवंटियों से जलापूर्ति के सापेक्ष दिनांक 01.05.2005 / कम्प्लीशन की तिथि / जल की उपलब्धता की तिथि, जो भी बाद में हो, से जल मूल्य आरोपित किया जाता है। वर्तमान में वर्ष 2019–20 के अधिकांश जल मूल्य इन्टीमेशन शीट डाक अथवा ई–मेल के माध्यम से आवंटियों को भेजा जा चुका है तथा प्रायः यह भी देखने में आ रहा है कि आवंटियों का K.Y.A. (Know Your Allottee) अपडेट न हो पाने के कारण, पते गलत होने पर वाटर बिल इन्टीमेशन लौटकर वापस आ रहे हैं। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण की यह अपील है कि जिन आवंटियों को वर्ष 2019–20 का बिल वर्तमान तक नहीं मिल पाया है, वो प्राधिकरण कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में आकर जलमूल्य इन्टीमेशन की प्रति प्राप्त कर सकते हैं एवं निर्धारित धनराशि प्राधिकरण की ऑफिसियल वेबसाईट "www.greaternoidaauthority.in" के माध्यम से अथवा आवंटी द्वारा KYA के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान भी किया जा सकता हैं। ऑफलाईन भुगतान हेतु बैंक एवं शाखाओं का विवरण निम्नवत् है:–

(i) Canara Bank, Jagat farm, Sector-Gama-I, Greater Noida, G.B. Nagar
(ii) Indian Bank, Jagat farm, Sector-Gama-I, Greater Noida, G.B. Nagar
(iii) Corporation Bank, Jagat farm, Sector-Gama-I, Greater Noida, G.B. Nagar
(iv) Punjab National Bank, Krishna Apra Plaza, Commercial Belt, Sector-Alpha-II, Greater Noida, G.B. Nagar
(v) Oriental Bank of Commerce, Sector-P-1, Greater Noida, G.B. Nagar

- वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद भी वार्षिक जल मूल्य जमा न कराये जाने पर 31 मार्च 2020 के बाद देय राशि पर 11% वार्षिक ब्याज की दर (छमाही चक्रवृद्वि) देय होगी।

प्राधिकरण की यह भी अपील है कि जिन आवंटियों का K.Y.A. (Know Your Allottee) अपडेट नहीं है, वो प्राधिकरण में आकर अपना K.Y.A. (Know Your Allottee) अपडेट जरूर कराये, जिससे कि भविष्य में जल मूल्य इन्टीमेशन शीट ई–मेल / एस0एम0एस के माध्यम से प्राप्त हो सके।

इसके साथ ही साथ यह भी सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण द्वारा दिनांक 31.03.2019 अथवा उससे पूर्व की बकाया धनराशि के ब्याज पर छूट O.T.S. (One Time Settelment) योजना लायी गई है, जिसका लाभ उठाकर भी आवंटी दिनांक 31.03.2020 तक निर्धारित धनराशि जमा कर सकते है।

"राष्ट्रीय हित में जल बचाये, जल ही जीवन है।"

(दीप चन्द्र)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी